भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **432**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023/14 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उत्पादन में आत्मानिर्भरता

432. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत अपनी उर्वरक आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उर्वरकों की कुल खपत की तुलना में देश में उत्पादित और आयातित उर्वरकों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है जहां से उर्वरकों का आयात किया जा रहा है;

(ड.) उर्वरक उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में आवश्यक उर्वरक की मात्रा और आपूर्ति किए गए उर्वरक का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (ग): मुख्य उर्वरकों में से कुल आवश्यकता की तुलना में लगभग 75% यूरिया, 40% डीएपी तथा 85% एनपीकेएस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित किये जाते हैं। उर्वरकों की आवश्यकता तथा उत्पादन के बीच के अंतर को पाटने के लिए शेष मात्रा का आयात भारत सरकार के खाते से (जैसाकि यूरिया के मामले में है) और पीएंडके के मामले में कंपनियों द्वारा (मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत) किया जाता है।

विगत तीन वर्ष के दौरान उर्वरक उत्पादन तथा आयात का ब्यौरा नीचे दिये गये अनुसार है:

<आंकड़े एलएमटी में>

वित्त वर्ष 2019-20			
उर्वरक	**उत्पादन**	**आयात**	**खपत**
यूरिया	**244.55**	**91.23**	**336.96**
डीएपी	**45.50**	**48.70**	**101.01**
एनपीकेएस	**93.34**	**7.46**	**27.80**
एमओपी	**शून्य**	**36.70**	**105.01**
वित्त वर्ष 2020-21			
उर्वरक	**उत्पादन**	**आयात**	**खपत**
यूरिया	**246.03**	**98.28**	**350.51**
डीएपी	**37.74**	**48.82**	**119.18**
एनपीकेएस	**100.54**	**13.90**	**34.32**
एमओपी	**शून्य**	**42.27**	**125.82**
वित्त वर्ष 2021-22			
उर्वरक	**उत्पादन**	**आयात**	**खपत**
यूरिया	**250.72**	**91.36**	**341.73**
डीएपी	**42.22**	**54.62**	**92.64**
एनपीकेएस	**89.67**	**11.70**	**23.93**
एमओपी	**शून्य**	**24.60**	**121.37**

(घ): उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) का आयात विभिन्न देशों नामतः अल्जीरिया, आस्ट्रलिया, बहरीन, कनाडा, चीन, बेलारूस, साइप्रस, मिस्र, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, जार्जिया, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, लातविया, लीबिया, लिथुआनिया, नाइजीरिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, ओमान, कतर, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, यूएई, यूक्रेन, यूएसए और वियतनाम से किया जा रहा है।

(ड.): सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी - 2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयों को स्थापित किया गया है। ये मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हैं। इन इकाइयों में प्रत्येक इकाई की यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अतः इन इकाइयों ने मिलकर देश की वर्तमान स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी प्रतिवर्ष का योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रतिवर्ष का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए 28 अप्रैल 2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

स्वदेशी यूरिया उत्पादन को इष्टतम करने के उद्देश्यों में से एक के साथ सरकार ने 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 के परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान उत्पादन की तुलना में यूरिया का 20-25 एलएमटीपीए अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उर्वरक विभाग आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है और अन्य संबंधित मंत्रालयों यथा- विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग आदि के साथ परामर्श करके वैकल्पिक स्रोतों से पीएण्डके उर्वरकों की दीर्घावधि व्यवस्थाओं और लघु अवधि आपूर्तियों को सुविधाजनक बनाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने स्थिति का विश्लेषण किया है और पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत राजसहायता दरें इस प्रकार अधिसूचित की हैं कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का प्रभाव भारत के कृषक समुदाय पर न पड़े और भारतीय किसानों को ये उर्वरक वहनीय दरों पर उपलब्ध कराये जा सकें। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनबीएस स्कीम के तहत राजसहायता दरें निम्नवत हैं:

क्र.सं.	**पोषकतत्व**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2021 से 19.05.2021 तक)**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (20.05.2021 से 31.03.2022 तक)**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2022 से 30.09.2022 तक)**	**एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.10.2022 से 31.03.2023 तक)**
1.	एन	18.789	18.789	91.96	98.02
2.	पी	14.888	45.323	72.74	66.93
3.	के	10.116	10.116	25.31	23.65
4.	एस	2.374	2.374	6.94	6.12

विभाग द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

1. उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, मध्य प्रदेश को 1,20,000 एमटी प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके के उत्पादन की अनुमति दी।
2. उर्वरक विभाग ने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को जेडएसीएल गोवा संयंत्र की 2 ट्रेनों का उपयोग करके 8 एलएमटी प्रति वर्ष अतिरिक्त डीएपी/एनपीके मिश्रित उर्वरक का निर्माण करने की अनुमति दी।
3. आरसीएफ, थल को 5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक नये डीएपी/एनपीके संयंत्र की अनुमति दी गई है और एफएसीटी, कोच्चि ने भी 5.5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक डीएपी/एनपीके संयंत्र की योजना बनाई है।
4. 25.10.2021 से 31.3.2022 तक डीएपी के उत्पादन/आयात पर 'नो प्रॉफिट/नो लॉस' आधार पर 8000 रु. की सीमा के साथ अतिरिक्त लागत प्रदान की गई है।
5. पीडीएम अथवा शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।
6. एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, पर खरीफ और रबी 2022 के लिए मालभाड़ा राजसहायता लागू की गई है।
7. खान मंत्रालय, जीएसआई, एमईसीएल, फैगमिल और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत में डीएपी और अन्य उर्वरकों के कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज एक सतत प्रक्रिया है।

(च): राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर में उर्वरक की आवश्यकता और आपूर्ति किए गए उर्वरक की मात्रा निम्नलिखित है:-

मात्रा: एमटी में

वर्ष	**उर्वरक**	**टोंक**		**सवाई माधोपुर**	
2022-23 (जनवरी 2023 तक)		**मांग**	**आपूर्ति**	**मांग**	**आपूर्ति**
	यूरिया	49500	64754	56200	68297
	डीएपी	23900	19245	14900	16499

उपर्युक्त उर्वरकों के अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान टोंक में 28677 एमटी एसएसपी और सवाई माधोपुर में 28627 एमटी एसएसपी की भी आपूर्ति की गई।

****